# न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी— डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. श्रीमती सजना देवी पत्नी स्व. रामलाल जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>2. श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. कमलकिशोर जाति बलाई, निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>3. श्री भवनेश कुमार पुत्र स्व. कमलकिशोर जाति बलाई, निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>4. पुजा पुत्री स्व. कमलकिशोर जाति बलाई, निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>5. भावना पुत्री स्व. कमलकिशोर जाति बलाई, निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>6. हेमलता पुत्री स्व. कमलकिशोर जाति बलाई, निवासी लुनियापुरा आबूरोड जरिए नाबालिग कुदरती वलीया श्रीमती सरोज<br>7. श्रीमती गीतादेवी बेवा स्व. श्री लालराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>8. पंकज पुत्र स्व. श्री लालराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>9. प्रदीप पुत्र स्व. श्री लालराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>10. प्रवीण पुत्र स्व. श्री लालराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>11. नरेश पुत्र स्व. श्री लालराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड | | 1. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री माधुजी जाति बलाई निवासी लापता<br>2. श्रीमती मंजुलता पत्नी किरण कुमार जाति रेगर निवासी रेगर मोहल्ला लुनियापुरा आबूरोड<br>3. सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड |

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद संख्या 56/2017

दिनांकः 23-01-2020

## निर्णय

यह कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा तरतोली पटवार क्षेत्र मोरथला के खसरा नंबर 296, 301, 304, 305, 307, 308, 309 कुल किता सात कुल रकबा 05 (पांच )बीघा 13 (तेरह) विस्वा कृषि भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि मे पूर्व मे वादी संख्या एक एवं वादी संख्या एक का पुत्र कमल किशोर का 1/3 हिस्सा दर्ज था। तथा लाला राम व कन्हैयालाल पुत्र माधुजी बलाई का 2/3 हिस्सा दर्ज था। लालारामजी की मृत्यु हो चुकी है। वादी संख्या 07 से 11 लालारामजी के वारिस है तथा रामलाल पुत्र माधुजी की मृत्यु पश्चात वादी संख्या 01 व कमलकिशोर का नाम दर्ज हुआ। रामलाल के पुत्र कमलकिशोर की मृत्यु हो चुकी है। यह कि वादी संख्या 01 व 02 ने अपना 1/3 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय कर दिया है। जिस बाबत इस वाद में कोई विवाद नहीं है।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

—2

Scanned by CamScanner

यह कि उक्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है। उक्त प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से की कृषि भूमि पर वादीगण सामलाती काश्त कदीम से अपने पूर्वजो के समय से लगातार करते आ रहे है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल पुत्र माधुजी गत 24 वर्षो से लापता है। कन्हैयालाल के 1/3 हिस्से की कृषि भूमि पर लालाराम एवं रामलाल जी अपने जीवनकाल में लगातार काश्त करते रहे है। वर्तमान में वादीगण काबिज काश्त है। यह कि प्रतिवादी संख्या 01 कन्हैयालाल गत 24 वर्षो लापता है जिसे ढुंढने का अथक प्रयास करने के बावजूद भी उनका कही अता पता नहीं चल पाया है समाज बिरादरी एवं गांव के लोगों ने उसे गत 7 वर्षो से अधिक समय से जीवित नहीं देखा है विधि के तहत गत 7 वर्षो से अधिक समय से लापता होने पर उसकी मृत्यु की उपधारणा की जानी है अर्थात कन्हैयालाल की विधिक रूप से सिविल डेथ हो चुकी है। यह कि कन्हैयालालजी के प्रथम श्रेणी के कोई वारिसान जीवित नहीं है। वादी 01 से 06 स्वर्गीय रामलाल के वारिस हो से तथा वादी संख्या 07 से 11 स्वर्गीय लालाराम के वारिस होने से कन्हैयालाल के द्वितीय श्रेणी के वारिस है। कन्हैयालाल के 1/3 हक हिस्से की कृषि भूमि पर वादीगण 1 से 6 का 1/6 भाग व वादी संख्या 7 से 11 का 1/6 भाग बराबर बराबर हक हिस्सा है। यह कि वादीगण ने अपने जीवनकाल में एवं लालाराम तथा रामलाल के जीवनकाल में गत 24 वर्षो से उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है वादीगण ने भूमि को उपजाउ बनाई है, वादीगण कदीम कब्जा काश्त होने से एडवर्श पेजशन के आधार पर भी खातेदार कृषक बन चुके है, इस कारण खातेदारी की घोषण का वाद पेश किया है।

अतः प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये। प्रतिवादी संख्या दो बावजूद सम्मन तामिली के अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या एक का सम्मन अदम तामिल प्राप्त होने से सम्मन को अखबार मे साया कराया गया उसके बावजूद प्रतिवादी संख्या एक अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या एक व दो अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या तीन का जवाब प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

हमने एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार विभिन्न गवाहों ने सत्य बताया की कन्हैयालाल को गत 25–30 वर्षो मे नही देखा गया है। पटवारी हल्का रिपोर्ट भी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि कन्हैयालाल/ माधूजी को गत 25–30 वर्षो से नही देखा गया है। इसलिये वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रश्नगत आराजी मौजा तरतोली पटवार क्षेत्र मोरथला के खसरा नंबर 296, 301, 304, 305, 307, 308, 309 कुल किता सात कुल रकबा 05 (पांच )बीघा 13 (तेरह) बिस्वा मे कन्हैयालाल के 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा रिकोर्ड मे कन्हैयालाल/ माधूजी के स्थान पर वादी संख्या 1 से 6 का 1/6 तथा वादी संख्या 7 से 11 का 1/6 हक हिस्से में नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

## आदेश

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। तथा प्रश्नगत आराजी मौजा तरतोली पटवार क्षेत्र मोरथला के खसरा नंबर 296, 301, 304, 305, 307, 308, 309 कुल किता सात कुल रकबा 05 (पांच )बीघा 13 (तेरह) बिस्वा मे कन्हैयालाल के 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा रिकोर्ड मे कन्हैयालाल/ माधूजी के स्थान पर वादी संख्या 1 से 6 का 1/6 तथा वादी संख्या 7 से 11 का 1/6 हक हिस्से में नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23/1/20 को से इजलास सुनाया गया।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत

Scanned by CamScanner

# डिक्री

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

### अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम आबूपर्वत
### पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. श्रीमती सजना देवी पत्नी स्व. रामलाल जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>2. श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. कमलकिशोर जाति बलाई, निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>3. श्री भवनेश कुमार पुत्र स्व. कमलकिशोर जाति बलाई, निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>4. पुजा पुत्री स्व. कमलकिशोर जाति बलाई, निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>5. भावना पुत्री स्व. कमलकिशोर जाति बलाई, निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>6. हेमलता पुत्री स्व. कमलकिशोर जाति बलाई, निवासी लुनियापुरा आबूरोड जरिए नाबालिग कुदरती वलीया श्रीमती सरोज<br>7. श्रीमती गीतादेवी बेवा स्व. श्री लालराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>8. पंकज पुत्र स्व. श्री लालराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>9. प्रदीप पुत्र स्व. श्री लालराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>10. प्रवीण पुत्र स्व. श्री लालराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड<br>11. नरेश पुत्र स्व. श्री लालराम जाति बलाई निवासी लुनियापुरा आबूरोड | | 1. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री माधुजी जाति बलाई निवासी लापता<br>2. श्रीमती मंजुलता पत्नी किरण कुमार जाति रेगर निवासी रेगर मोहल्ला लुनियापुरा आबूरोड<br>3. सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड |

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 56 / 2017

दिनांकः 23 –01 –2020

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जितेन्द्र सुराणा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण ––मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। तथा प्रश्नगत आराजी मौजा तरतोली पटवार क्षेत्र मोरथला के खसरा नंबर 296, 301, 304, 305, 307, 308, 309 कुल किता सात कुल रकबा 05 (पांच )बीघा 13 (तेरह) बिस्वा मे कन्हैयालाल के 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा रिकोर्ड मे कन्हैयालाल/ माधूजी के स्थान पर वादी संख्या 1 से 6 का 1/6 तथा वादी संख्या 7 से 11 का 1/6 हक हिस्से में नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे––––×––––––––मुतलिक––––––––––×––––––––––बाबत् खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह––––––––––×––––––––––फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक––––––––––×––––––––––को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/01/20 को जारी की गई है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलेक्टर आबू-पर्वत
सहायक कलेक्टर,आबूपर्वत

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2020.02.04 16:01:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: